

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 571]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 18, शक 1936

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2014

क्र. एफ. 1 (1) 33-2009-सी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य बायलर निरीक्षकालय सेवा (राजपत्रित) भरती तथा पदोन्नति नियम, 1979 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 9 में,—

(1) खण्ड (एक) में, शीर्षक “आयु” के अधीन, उप खण्ड (ग) में,—

(क) मद (एक) में अंक तथा शब्द “38 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “40 वर्ष” स्थापित किए जाएं;

(ख) मद (दो) में अंक तथा शब्द “38 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “40 वर्ष” स्थापित किए जाएं;

(2) टिप्पणी (1) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“टिप्पणी : (1-क) किसी भी दशा में इस खण्ड में उपबंधित समस्त छूटों को सम्मिलित करने के पश्चात् समस्त श्रेणियों में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

टिप्पणी : (1-ख) अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11-12-1-13, दिनांक 3 नवम्बर 2012 एवं 20 नवम्बर 2012 के अनुसार की जाएगी.”

2. नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“10 निरर्हता.—(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन अभिप्राप्त करने हेतु किसी भी साधन से किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा उसे परीक्षा / चयन में बैठने के लिए निरर्हता माना जाएगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो सेवा के लिए निरर्हित होगा :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतान का जन्म होता है किसी सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा :

परन्तु जहां अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में मामला लंबित है, वहां उसकी नियुक्ति आपराधिक प्रकरण में अन्तिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी.''

3. विद्यमान अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“अनुसूची—एक
(नियम 6 देखिए)

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	सेवा की श्रेणी (4)	वर्गीकरण (5)	वेतनमान (5)
1.	संचालक बायलर	1	प्रथम श्रेणी	मध्यप्रदेश राज्य बायलर सेवा निरीक्षणालय (राजपत्रित)	रु. 15600-39100+ 7600 ग्रेड वेतन.
2.	उप संचालक बायलर	1	प्रथम श्रेणी	-तदैव-	रु. 15600-39100+ 6600 ग्रेड वेतन.
3.	निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक	4	प्रथम श्रेणी	-तदैव-	रु. 15600-39100+ 6600 ग्रेड वेतन.
4.	निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो	2	द्वितीय श्रेणी	-तदैव-	रु. 15600-39100+ 5400 ग्रेड वेतन.

अनुसूची—दो
(नियम 7 देखिए)

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या (3)	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 7(क) देखिए] (4)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 7(ख) देखिए] (5)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 7(ख) देखिए] (6)
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग.	संचालक बायलर	1	-	100 प्रतिशत	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग.	उप संचालक बायलर	1	-	100 प्रतिशत	-
	निरीक्षक बायलर, ग्रेड-एक	4	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	-
	निरीक्षक बायलर, ग्रेड-दो	2	100 प्रतिशत	-	-

अनुसूची—तीन

(नियम 9 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
वाणिज्य उद्योग तथा रोजगार विभाग.	निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक.	21 वर्ष	40 वर्ष	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से मेकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरिंग में डिग्री; और (ख) बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में या बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय हैसियत में तीन वर्ष का अनुभव.	
	निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो.	21 वर्ष	40 वर्ष	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से मेकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरिंग में डिग्री; और (ख) बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में या बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय हैसियत में दो वर्ष का अनुभव.	

अनुसूची—चार

(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	आगामी उच्च पद पर पदोन्नति हेतु फीडर पद की न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग.	उप संचालक बायलर / निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक.	संचालक बायलर	5 वर्ष	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य —अध्यक्ष
	निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक.	उप संचालक बायलर	5 वर्ष	2. प्रमुख सचिव / सचिव, वाणिज्य उद्योग तथा रोजगार विभाग —सदस्य
	निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो.	निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक.	5 वर्ष	3. आयुक्त, उद्योग —सदस्य
				4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक सदस्य —सदस्य

No. F-1 (1) 33-2009-C-XI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Boilers Inspectorate Service (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1979, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 9,—

(1) In clause (i), under the heading “Age”, in sub-clause (c),—

(a) in item (i), for the figure and word “38 years” the figure and word “40 years” shall be substituted;

(b) in item (ii), for the figure and word “38 years” the figure and word “40 years” shall be substituted;

(2) after Note (1), the following Notes shall be inserted, namely:—

“Note: (1-A) In any case the maximum age limit in all classes shall not be more than 45 years after including all concessions provided in this clause.

Note : (1-B) The maximum age shall be calculated in accordance with the General Administration Department circular No. C-3-11/12/1/13, dated 3-11-2012 and 20-11-2012.”.

2. For rule 10 the following rule shall be substituted, namely:—

“10. Disqualification.—(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature

by any means may be held by the Commission to disqualify him for appearing in the examination / selection.

(2) A candidate shall be disqualified for appointment in the service, who is married before the minimum age fixed for marriage.

(3) A candidate shall be disqualified for appointment in the service, who has more than two living children one of whom is born on or after 26th day of January, 2001:

Provided that such candidate shall not be disqualified for appointment in the service, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001 in which two or more than two living children are born.

(4) A candidate shall be disqualified for appointment in the service, who has been convicted for an offence against women:

Provided that where such case is pending in a Court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of criminal case.”.

3. For the existing Schedule I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-I
(See rule 6)

S.No.	Name of the posts included in the Service	Number of posts	Class of Service	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Director of Boilers	1	Class-I	Madhya Pradesh State Boiler Inspectorate Service (Gazetted)	Rs. 15600—39100+ 7600 Grade Pay.
2.	Deputy Director of Boilers.	1	Class-I	—do—	Rs. 15600—39100+ 6600 Grade Pay.
3.	Inspector of Boilers Grade-I.	4	Class-I	—do—	Rs. 15600—39100+ 6600 Grade Pay.
4.	Inspector of Boilers Grade-II.	2	Class-II	—do—	Rs. 15600—39100+ 5400 Grade Pay.

SCHEDULE-II
(see rule 7)

Name of the Department	Name of Service	Total No. of duty post	Percentage of the number of posts to be filled		
			By direct recruitment [see rule-7(a)]	By promotion of members of service [see rule-7(b)]	By transfer of persons from other service [see rule-7(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Commerce, Industries and Employment Department.	Director of Boilers.	1	-	100%	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Commerce, Industries and Employment Department.	Deputy Director of Boilers.	1	-	100%	-
	Inspector of Boilers Grade-I.	4	80%	20%	-
	Inspector of Boilers Grade-II.	2	100%	-	-

SCHEDULE-III

(See rule 9)

Age and Qualification for direct recruitment

Name of the Department (1)	Name of Post (2)	Minimum Age Limit (3)	Maximum Age Limit (4)	Prescribed Educational Qualification (5)	Remarks (6)
Commerce Industries and Employment Department.	Inspector of Boilers Grade-I.	21 years	40 years	(a) Degree in mechanical or production or power plant or metallurgical engineering from a recognized University or equivalent; and (b) Three years experience in a managerial capacity in the design, construction, erection, operation, testing repair, maintenance or inspection of Boilers or in the implementation of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923) rules and regulations made thereunder.	
	Inspector of Boilers Grade-II.	21 years	40 years	(a) Degree in mechanical or production or power plant or metallurgical engineering from a recognized University or equivalent; and (b) Two years experience in a managerial capacity in the design, construction, erection, operation, testing repair, maintenance or inspection of boilers or in the implementation of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923) rules and regulations made thereunder.	

SCHEDULE-IV

(See rule 14)

Name of Department	Name of the Service of post from which promotion is to be made	Minimum Service on the feeder post for promotion on next higher post	Name of the service or post to which promotion is to be made	Name of members of the Departmental promotion Committee (see rule 14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Commerce, Industries & Employment Department.	Deputy Director of Boilers/ inspector of Boilers Gr—I.	5 Years	Director of Boilers.	1. Chairman—Chairman of Public Service Commission or member nominated by Chairman.
	Inspector of Boilers Gr-I.	5 Years	Deputy Director of Boilers.	2. Member—Principial Secretary/ Secretary Commerce, Industries & Employment Department.
	Inspector of Boilers Gr-II.	5 Years	Inspector of Boilers Gr-I.	3. Member—Commissioner of Industries.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल भारतीय, उप सचिव.